**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1666

उत्‍तर देने की तारीख: 27.12.2018

**स्कूली शिक्षा के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण**

**1666. श्री संभाजी छत्रपतीः**

 क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की ऐसे छात्रों के लिए, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पढ़ाई में ज्यादा अच्छे नहीं हैं, रोजगार पाने हेतु स्कूलों में मैट्रिक/उच्च माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य रूप से व्यावसायिक प्रशिक्षण लागू करने की कोई योजना है;

(ख) क्या इस पहलू की जांच करने और देश में बेरोजगारी की हालत के मद्देनजर सिफारिशें करने के लिए हाल ही में किसी विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(डॉ. सत्य पाल सिंह)**

(क) से (ग): सरकार ‘समग्र शिक्षा-स्‍कूल शिक्षा एकीकृत योजना’ की केंद्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के तहत स्‍कूल शिक्षा घटक के व्‍यावसायिकरण में अर्थव्‍यवस्‍था और वैश्विक बाजार के विभिन्‍न क्षेत्रों के लिए शिक्षित, नियोजनीय और प्रतिस्‍पर्धी मानव संसाधन तैयार करने के लक्ष्‍य से सामान्य शैक्षिक शिक्षा के साथ व्‍यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करने की व्‍यवस्‍था है। समग्र शिक्षा, राष्‍ट्रीय कौशल अर्हता कार्यढांचा (एनएसक्‍यूएफ) के व्‍यावसायिक शिक्षा घटक के तहत योजना के कार्यान्‍वयन के लिए राज्‍य/संघ राज्‍य सरकारों द्वारा चयनित और स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा अनुमोदित स्‍कूलों में अन्‍य शैक्षिक विषयों के साथ व्‍यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। विद्यार्थी के पास माध्‍यमिक और उच्चतर माध्‍यमिक स्‍तर पर अन्‍य शैक्षिक विषयों के साथ-साथ एक व्‍यावसायिक विषय लेने का विकल्‍प होता है। वर्तमान में स्‍कूलों में अनिवार्य व्‍यावसायिक प्रशिक्षण प्रारंभ करने की कोई योजना नहीं है और स्‍कूलों में अनिवार्य व्‍यावसायिक शिक्षा प्रारंभ करने के लिए स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा कोई विशेषज्ञ समूह/समिति गठित नहीं की गई है।

**\*\*\*\*\***